कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर :: सेवा समाप्ति आदेश ::

श्री प्रेम सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ी सरवा पं०स० कुशलगढ जिला बांसवाड़ा में कार्यरत थे, श्री प्रेम सिंह की जन्मतिथि 07.06.1961 है, जिनका राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 25.11.2020 को स्वर्गवास हो चुका है।

अतः श्री प्रेम सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ी सरवा पं०स० कुशलगढ जिला बांसवाड़ा की राजकीय सेवाएं दिनांक 25.11.2020 से एतद् द्वारा समाप्त की जाती है।

> १८५।/ (सौरभ स्वामी) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/प्रेम सिंह/2021/06 दिनांक प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर।

2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा विभाग) उदयपुर संभाग, उदयपुर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० कुशलगढ जिला बांसवाड़ा।

5. आश्रित स्व0 श्री प्रेम सिंह, प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं०स० कुशलगढ जिला बांसवाड़ा।

6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।

7. विजांच / वरिष्ठता अनुभाग, प्रभारी बी—ा / 11 कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ः कार्यालय आदेश ःः

प्रारूप-6 परिशिष्ट-"अ"

श्री ओम प्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरनांवाली पं०स० हनुमानगढ जिला हनुमानगढ जिनकी जन्मतिथि 05.07.1966 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23.12.1991 है।

श्री ओम प्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरनांवाली पं०स० हनुमानगढ जिला हनुमानगढ द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री ओम प्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरनांवाली पं०स० हनुमानगढ जिला हनुमानगढ के विरुद्ध आज तक :--

- 1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रंण एंव अपील) नियम 1958 के नियम —16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लिम्बत नहीं है।
- 2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रंण एंव अपील) नियम —19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लिम्बत नहीं है।
- 3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन / लम्बित नही है।

(भी / (सौरभ स्वामी) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/ओमप्रकाश/2004/ 14 दिनांक : 13·1·2\ प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर

2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर

3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ

4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरनांवाली पं०स० हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

6. श्री ओम प्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरनांवाली पं०स० हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा

- 8. विजांच / वरिष्ठता अनुभाग / प्रभाग प्रभारी बी-1 / 11 कार्यालय हाजा
- 9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर :: सेवा समाप्ति आदेश ::

श्री लिलत कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्द पं०स० पीसांगन जिला अजमेर मे कार्यरत थे, श्री लिलत कुमार की जन्मतिथि 18.05.1978 है, जिनका राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 14.12.2020 को स्वर्गवास हो चुका है।

अतः श्री ललित कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उंच्य माध्यमिक विद्यालय, नान्द पं०स० पीसांगन जिला अजमेर की राजकीय सेवाएं दिनांक 14.12.2020 से एतद् द्वारा समाप्त की जाती है।

> प्रधारी (सौरभ स्वामी) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/लित कुमार/2021 / 5 दिनांक : 13.01.2021 प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर।

- 2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा विभाग) अजमेर संभाग, अजमेर।
- 3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
- 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंoसo पीसांगन जिला अजमेर।
- 5. आश्रित स्व० श्री ललित कुमार, प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं०स० पीसांगन जिला अजमेर।
- 6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 7. विजांच / वरिष्ठता अनुभाग, प्रभारी बी-ा / 11 कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती मंजू कुमारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उंच्य माध्यमिक विद्यालय, खड़ब कोटपूतली जिला जयपुर जन्मतिथि 15.12.1977 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 18.02..2021 से 14.03.2021 तक 25 दिवस की इंगलेण्ड (लंदन) जाने की अनुमित निर्देशानुसार निम्नाकित शर्ती के

- 1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें।
- 2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेगें, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्त्वय स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी

3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नही की जावेगी।

4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीक्रति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-(1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।

(2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारंण पूर्ण से कर दिया गया है।

(3) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नही है। (4) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लिम्बत / विचाराधिन नही है।

6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।

7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगें।

8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दोरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एंव न ही राजकीय स्त्रोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।

- विदेश यात्रा के दोरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

11. विदेश यात्रा के दोरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नही की जावेगी।

(सौरम स्वामी) आई.ए.एस. निदेशक

दिनाक : 13 , 1,21

माघ्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / संस्था / ए-3 / मंजू कुमारी / 2021 / 18 2 प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् :--

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।

2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं०स० कोटपूतली जिला जयपुर।

एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खड़ब कोटपूतली जिला जयपुर

7. श्रीमती मंजू कुमारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खड़ब कोटपूतली जिला जयपुर

संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर